ई0 पत्रावली संख्या–23625

प्रेषक,

हरिचन्द सेमवाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2 **देहरादून, दिनांक** 22 **मई, 2023**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान संख्या–20 पूंजीलेखा के राज्य सैक्टर पोषित ड्रेनेज कार्य मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं हेतु धन की मांग के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–322/प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी–1(सामान्य)/कैम्प, दिनांक 09.05.2023 में किये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान संख्या–20 पूंजीलेखा के राज्य सैक्टर पोषित ड्रेनेज कार्य मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति के दृष्टिगत **संलग्नक–1** में अंकित योजनाओं के अवशेष कार्यों हेतु रू0 174.04 लाख (रूपये एक करोड़ चौहत्तर लाख चार हजार मात्र) की धनराशि, योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या–1724/II(02)/2021–04(61)/2021, दिनांक 03.12.2021, शासनादेश संख्या–59397/2022, दिनांक 30.08.2022 एवं शासनादेश संख्या–69127/2022, दिनांक 10.10.2022 में वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों तथा निम्न शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) उक्तानुसार अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथा संशोधित) तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाये।

(2) धनराशि आवंटित करने से पहले प्रत्येक कार्य हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उसकी भौतिक प्रगति का सत्यापन सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जायेगा, कार्य मानकानुसार पाये जाने व भौतिक प्रगति उचित पाये जाने के उपरान्त ही धनावंटन किया जाय।

(3) योजनाओं पर एकमुश्त धनराशि अवमुक्त की जा रही है। धनराशि योजनाओं पर आवश्यकतानुसार आवंटित की जाये।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2024 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जाये। उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में उक्त योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

Generated from eOffice by VISHAL GOYAL, RO-VG, RO - IRRIGATION, Irrigation and Minor Irrigation Department on 22/05/2023 10:16 AM

/123271/2023 **(5)** निर्माणाधीन योजनाओं हेतु पूर्व अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 31 मार्च 2024 तक का वित्तीय व भौतिक प्रगति, फोटाग्राफ सहित आवश्यक रूप से 15 अप्रैल 2024 तक उपलब्ध कराया जाय, उक्त विवरण उपलब्ध न होने की दशा में संबंधित कार्मिकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4711–03–103–02–00–53–वृहत निर्माण कार्य के लिए भुगतान मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–111469/09(150)2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 एवं समय–समय पर निर्गत वित्त विभाग के शासनादेशों का पूर्णरूप से पालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही वित्त विभाग के शासनादेशों में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाय।

संलग्नक– Allotment ID

Signed by Hari Chandra Semwal
Date: 18-05-2023 19:55:09

भवदीय,

(हरिचन्द्र सेमवाल)
सचिव।

ई0 पत्रावली संख्या–23625, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
4. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/टिहरी गढ़वाल।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

Generated from eOffice by VISHAL GOYAL, RO-VG, RO - IRRIGATION, Irrigation and Minor Irrigation Department on 22/05/2023 10:16 AM